



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1944 (श10)

(सं० पटना 339) पटना, शुक्रवार, 03 जून 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

03 जून 2022

सं० Exp-21/2020/(खंड-21) ढाका-39—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या— 76/बिहार—वि.स./2020/21/सी.ई.एम.एस.—III दिनांक 17.05.2022 से एतद्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के **21—ढाका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी **एम.डी. कासिम अंसारी, निवासी ग्राम+पो0—माधोपुर, पीएस—चिरैया, जिला— पूर्वी चम्पारण, बिहार** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य—क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव—सह—
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/तारीख:-17 मई, 2022/27 वैशाख, 1944 (शक)

सं० 76/बिहार-वि.स./2020/21/सी.ई.एम.एस-III—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पी०.एन०./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 21—ढाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 04 जनवरी, 2021 के पत्र संख्या-21/2020 (खंड-21) ढाका-44 के जरिए अग्रेषित दिनांक 10 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **एम.डी. कासिम अंसारी** जो बिहार के **21—ढाका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **निर्दलीय** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **एम.डी. कासिम अंसारी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **एम.डी. कासिम अंसारी**, को निदेश दिया गया था, कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस **एम.डी.कासिम अंसारी**, द्वारा दिये गये पते पर उनके बड़े पिता से दिनांक 18 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 23 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 107/जिला० निर्वा० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी चम्पारण, द्वारा अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 121/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया कि **एम.डी.कासिम अंसारी**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसे अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एम.डी.कासिम अंसारी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा,

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **21—ढाका** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार **निर्दलीय** के अभ्यर्थी **एम.डी. कासिम अंसारी**, निवासी **ग्राम+पो०—माधोपुर, पीएस—चिरैया, जिला— पूर्वी चम्पारण, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के

लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
कुमार राजीव,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 339-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>